

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

वैवाहिक प्रकरण क्र.-04/14

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 19.11.12

सन्दीप पुत्र ओमप्रकाश सिंह तोमर आयु 36 वर्ष
जाति ठाकुर निवासी ग्राम एण्डोरी परगना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती प्रभा उर्फ कीर्ति पुत्री भूपेन्द्र सिंह पत्नी
सन्दीप सिंह आयु 34 वर्ष जाति ठाकुर निवासी
हाल ग्राम सिरसा पोस्ट सिरसा तहसील
माधौगढ़, थाना माधौगढ़, जिला जलौन उ0प्र0

..... अनावेदिका

.....
आवेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता।
अनावेदिका द्वारा श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता।
.....

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 11.09.17 को घोषित)

1. इस निर्णय के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल आवेदन अंतर्गत धारा-13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 का निराकरण किया जा रहा है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदक एवं अनावेदिका का विवाह दिनांक 07.05.04 का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सिरसा गांव तहसील माधौगढ़ जिला जालौन में हुआ था तथा अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है।
3. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक के साथ अनावेदिका का विवाह होने के उपरांत अनावेदिका ग्राम एण्डोरी आई थी। तब अनावेदिका को विवाह में आवेदक की ओर से सोने चांदी के जेवरात तथा रीति रिवाज अनुसार कपड़े आदि दिए गए थे। विवाह के पश्चात आवेदक को प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी। इस कारण वह ग्राम एण्डोरी में नहीं आ पाता

था। आवेदक जब भी ग्राम एण्डोरी में आता था तो अनावेदिका उसके साथ चलने को कहती थी। आवेदक उससे कहता था कि नौकरी पक्की हो जाएगी तब वह ले जाएगा, तब वह झगड़ा फसाद करती थी। दिनांक 30.01.09 को अनावेदिका संपूर्ण जेवरात लेकर अपने भाई मृत्युंजय के साथ चली गई और वहां जाकर आवेदक के विरुद्ध दहेज के झूठे प्रकरण लगा दिए। उसी दिन से अनावेदिका, आवेदक के साथ पत्नी के रूप में नहीं रह रही है और न ही उसने पत्नी धर्म का पालन किया है। अनावेदिका कूरता का व्यवहार कर रही है और वह आवेदक के साथ पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती है। आवेदक के द्वारा अनावेदिका को अपने साथ रखने के लिए धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें भरण पोषण एवं अन्य खर्चे निर्धारित किया गया जो कि अनावेदिका को अदा किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में समझौते का प्रयास करने पर भी अनावेदिका उपस्थित नहीं हो रही है। दिनांक 12.10.15 को उक्त प्रकरण की तारीख थी, तब अनावेदिका ने स्पष्ट किया कि वह आवेदक के साथ पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती है और तलाक लेना चाहती है। आवेदिका 29.01.09 तक आवेदक के साथ पत्नी के रूप में ग्राम एण्डोरी में रही है। उक्त आधारों पर अनावेदिका के साथ हुए विवाह को विघटित करते हुए तलाक स्वीकार किए जाने की घोषणा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अनावेदिका की ओर से मूल आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदक के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि सोने चांदी के जेवर अनावेदिका को नहीं दिए गए थे और जो जेवर चढ़ाए गए थे वह एण्डोरी आते ही सास लाड़कुंवर व पति संदीप ने अनावेदिका से उतरवा लिए थे। पति के कोई भी जेवर उसके पास नहीं है। विवाह तय होने के समय आवेदक संदीप व उसके परिवार वालों ने 5,00,000/-रुपए और मोटरसाइकिल की मांग रखी थी। अनावेदिका के पिता ने नकद 4,50,000/-रुपए तथा मोटरसाइकिल करिज्मा के लिए नकद 80,000/-रुपए प्रथक से दे दिए थे। इसके अलावा पांच तोला सोने के जेवर, बर्तन व अन्य सामान टी.वी., फ्रिज, वाशिंग मशीन, अलमारी आदि दिए थे। फिर भी ससुराल पक्ष के लोग व संदीप सिंह 5,00,000/-रुपए की मांग उसके पिता से दिलवाने की करते थे। जिसकी मना करने पर ससुराल जनों व पति ने कई बार अनावेदिका की मारपीट की। ये सभी लोग अनावेदिका को गाड़ी में डालकर पहने

हुए कपड़ों में दिनांक 20.07.07 को सिरसा छोड़ गए थे। अनावेदिका ने आवेदक से नौकरी पर साथ जाने को कभी नहीं कहा और न कोई जिद की। आवेदक अपने ग्राम एण्डोरी आता था तो पति धर्म का पालन नहीं करता था बल्कि 5,00,000/—रुपए पिता से न दिलाए जाने कारण उसकी मारपीट करता था।

5. अनावेदिका के यह भी अभिवचन है कि आवेदक ने कभी भी अनावेदिका अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है व अन्य महिलाओं से संबंध कायम किया है। आवेदक, मंजरी मिश्रा पुत्री ए.के. मिश्रा को लेकर दिल्ली भाग गया था। जिसकी जांच पड़ताल होने पर आवेदक ने ए.के. मिश्रा व उसकी पुत्री से ले देकर राजीनामा कर लिया। तब आवेदक बच पाया। दिनांक 20.07.07 से अनावेदिका को कोई लेने नहीं आया, अपितु आवेदक ने उसका बीमा करा रखा है और वह अनावेदिका को जान से मारना चाहता है। धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रकरण में 3,000/—रुपए मासिक भरण पोषण एवं 2,500/—रुपए दावे का खर्च दिलाए जाने का आदेश किया गया था। जिसमें से केवल 7,500/—रुपए आवेदक के द्वारा अदा किए गए हैं तथा 1,21,500/—रुपए आवेदक के ऊपर बकाया है। समझौते के लिए कई बार मौका देने पर भी आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अनावेदिका ने कभी भी समझौते पर बातचीत से इन्कार नहीं किया और न ही कूरतापूर्ण व्यवहार किया। भरण पोषण राशि बकाया होने से आवेदक समझौते के लिए नियत दिनाकों पर अनुपस्थित रहा है तथा साक्ष्य देने में विफल रहने के कारण दिनांक 13.12.14 को उक्त प्रकरण आवेदक के अधिवक्ता द्वारा नॉटप्रेस में निरस्त करा लिया गया है। दिनांक 19.07.09 को आवेदक संदीप सिंह अपने पिता ओमप्रकाश सिंह, मां लाडकुंवर, राघवेन्द्र सिंह, शिवभान सिंह एवं जिठानी स्कॉर्पियो गाड़ी से सिरसा उसके पिता के घर आए और 5,00,000/—रुपए दिलवाने को कहा तब अनावेदिका ने मना कर दिया और उन लोगों ने अनावेदिका की मारपीट की। उक्त आधारों पर आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:—

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ पत्नी के धर्म का पालन नहीं करते हुए, कूरता पूर्ण	अप्रमाणित।

व्यवहार किया है ?	
2. क्या आवेदक और अनावेदिका के विवाह के विघटन के अलावा उनके मध्य दाम्पत्य संबंधों की स्थापना के समस्त विकल्प समाप्त हो चुके हैं, यदि हां तो प्रभाव ?	अप्रमाणित।
3. अनुतोष ?	आवेदन निरस्त किया गया।

सकारण निष्कर्ष

वादप्रश्न क्रमांक 01:-

7. आवेदक संदीप सिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि विवाह के बाद जब अनावेदिका ग्राम एण्डोरी में आई तो अनावेदिका को विवाह में आवेदक की ओर से सोने चांदी के जेवरात तथा रीति रिवाज अनुसार कपड़े आदि दिए गए थे। यही साक्ष्य जितेन्द्र सिंह तोमर आ0सा0-02 एवं ओमप्रकाश सिंह आ0सा0-03 ने दी है। वहीं उसके विपरीत अनावेदिका प्रभा उर्फ कीर्ति अना0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में पैरा-02 में यह बताया है कि जब वह ससुराल ग्राम एण्डोरी आई थी तब सास लाडकुवर एवं पति संदीप ने जो जेवर चढ़ाए थे, वे सभी उससे उतरवाकर वापस ले लिए थे और केवल पिता द्वारा दी गई नाक व गले की लर उसके पास पहनने को छोड़ दी थी। उसके पास ससुराल वालों के कोई सोने चांदी के जेवर नहीं है।
8. प्रभा उर्फ कीर्ति अना0सा0-01, राघवेन्द्र सिंह अना0सा0-02 एवं सुलोचन सिंह अना0सा0-03 ने यह बताया है कि शादी के समय उसके ससुर एवं पति के द्वारा दहेज में 5,00,000/-रुपए की मांग रखी थी, जिसकी पूर्ति उसके पिता ने 4,50,000/-रुपए नकदी एवं करिज्मा मोटरसाइकिल के लिए 80,000/-रुपए प्रथक से नकदी देकर पूर्ति कर दी थी। इसके अलावा पांच तोला सोने के जेवर वाशिंग मशीन, अलमारी, कूलर, टी.वी. रंगीन, फ्रिज, पलंग, बर्तन आदि दहेज में शादी के समय दिया था। किंतु ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए और अनावेदिका को परेशान कर प्रताड़ित करने लगे और कहते कि 5,00,000/-रुपए लेकर आओ। यह भी बताया है कि अनावेदिका ने मना किया कि उसके पिता इतने धनवान नहीं है कि 5,00,000/-रुपए दे सकें। इस साक्षी के संबंध में उक्त तीनों साक्षीगण को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उक्त दहेज अनावेदिका के माता पिता द्वारा संदीप को नहीं दिया गया था। इस प्रकार यह तथ्य स्वीकृत हो जाता है कि दहेज दिया गया था। 5,00,000/-रुपए की मांग के संबंध में भी तीनों साक्षियों प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि उक्त राशि की मांग संदीप व उसके घरवालों के द्वारा

नहीं की गई थी।

9. प्रभा उर्फ कीर्ति अना0सा0-01 ने यह बताया है कि उसने जैसे तैसे दो-तीन साल बिताए थे। उसने मांग की पूर्ति करने में सहयोग नहीं किया तो सभी उसे प्रताड़ित करने लगे। उसे मारपीट कर, ताने देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। दिनांक 20.07.07 को रक्षाबंधन के पूर्व पहने हुए कपड़ों में उसे गाड़ी में डालकर ससुराल वाले सिरसा गांव पिता के घर छोड़ आए थे, तभी से वह पिता के घर सिरसा गांव में रह रही है। आवेदक की ओर से इस बिन्दु पर यह सुझाव नहीं दिया गया है कि संदीप और उसके परिवार के लोग वर्ष 2007 में अनावेदिका को उसके मायके छोड़कर नहीं आए थे। राघवेन्द्र सिंह अना0सा0-02 एवं सुलोचन सिंह अना0सा0-03 ने भी वर्ष 2007 में ससुराल वालों के द्वारा अनावेदिका प्रभा को उनके पिता के घर छोड़कर आना बताया है।

10. प्रभा उर्फ कीर्ति अना0सा0-01 यह भी बताया है कि जब वह अपनी ससुराल दो-तीन साल तक रही तो उसके पति ने उसके साथ कभी संबंध नहीं बनाए और जब कभी वह गांव एण्डोरी आता तो मारपीट करता, उसके पिता चाचा, रिश्तेदारों के द्वारा कई बार समझाने पर भी नहीं मानता था। प्रभा उर्फ कीर्ति अना0सा0-01 ने यही भी बताया है कि उसके पति ने उसके नाम से बीमा कराया था, उसकी ससुराल वाले उसे जान से खत्म करना चाहते हैं। इसलिए वह ससुराल में नहीं रहना चाहती है। उसके पति का चाल चलन अच्छा नहीं है, वह शराब पीते हैं, पैसे अय्याशी में खत्म कर देते हैं और दूसरी महिलाओं से जुड़े हैं। राघवेन्द्र अना0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में यह बताया है कि प्रभा उर्फ कीर्ति उसकी सगी भतीजी लगती है। संदीप उसे कभी लेने नहीं आया और उसका चाल चलन ठीक नहीं है और वह पराई लड़कियों से मेलजोल रखता था और अय्याशी करता है। उसने प्रभा को कभी पत्नी नहीं समझा। यही साक्ष्य सुलोचन सिंह अना0-03 ने भी दी है। उपरोक्त सभी साक्ष्य का न तो खण्डन हुआ है और न ही प्रतिपरीक्षण में उसे चुनौती दी गई है।

11. इस मामले में आवेदन कूरता के आधार पर प्रस्तुत किया है। इस संबंध में आवेदक संदीप सिंह अना0सा0-01 ने यह बताया है कि विवाह के बाद जब उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी तो वह ग्राम एण्डोरी नहीं आ पाता था।

अनावेदिका साथ चलने को कहती तो वह कह कहता था कि नौकरी पक्की हो जाएगी तब ले जाएगा। इसी बात पर अनावेदिका झगड़ा करती रहती थी। आवेदक को बिना बताए अनावेदिका दिनांक 30.01.09 को सभी जेवरात लेकर चली गई और वहां जाकर झूठे दहेज के प्रकरण लगा दिए। अनावेदिका ने दिनांक 30.01.09 से आज तक पत्नी धर्म का पालन नहीं किया है और वह कूरता का व्यवहार कर रही है। यही साक्ष्य जितेन्द्र सिंह तोमर आ0सा0-02 एवं भगवानसिंह आ0सा0-03 ने भी दी है। जहां तक कि जेवरात आवेदक के द्वारा अनावेदिका को देने का संबंध है, आवेदक संदीप सिंह आ0सा0-04 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह बताया है कि जो जेवर चढ़ाया गया था, वह उसके पिताजी ने बनवाए थे और रसीदें पिताजी के पास ही होंगी। उसने यह स्वीकार किया है कि शादी के समय अनावेदिका प्रभा उसके घर पर रहने आई थी। इस मामले में उभयपक्ष के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि संदीप सिंह पर धारा-498ए भा0द0सं0 का प्रकरण जलौन में चला है तथा भरण पोषण की मांग का प्रकरण उरई न्यायालय में चल रहा है।

12. आवेदक संदीप सिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि उसने धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदन इसी न्यायालय में दिया था। जिसमें राजीनामा होकर लोकअदालत में समाप्त हो गया था। उक्त प्रकरण क्रमांक 48/09 वैवाहिक पुराना क्रमांक 05/14 वैवाहिक एवं उसका मूदी. प्रकरण क्रमांक 02/15 तलब कराया गया तथा दोनों प्रकरणों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त धारा-09 वाले प्रकरण में 3,000/-रुपए प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाए जाने तथा 2,500/-रुपए प्रकरण व्यय के रूप में दिलाए जाने का आदेश किया गया था। परंतु भरण पोषण की राशि आवेदक के द्वारा अदा नहीं की गई थी। वैवाहिक धारा-09 वाले प्रकरण की आदेशपत्रिका दिनांक 13.12.14 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आदेश पत्रिका के हाशिए में संदीप सिंह के अधिवक्ता द्वारा नॉटप्रेस लिखा हुआ है। परंतु आदेश पत्रिका में यह उल्लेख है कि उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है और समझौता होने से प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई है। स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई है, जिससे कि आवेदक का आचरण प्रकट होता है।

13. अनावेदिका की ओर से आवेदक के किसी अन्य महिला से संबंध होने का भी आधार लिया गया है। अन्य प्रकरण के किसी मंजरी मिश्रा के पिता ए.के. मिश्रा द्वारा

पुलिस को दिए गए आवेदन, उसमें राजू उर्फ राजेश शर्मा, शिवभान सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह (आवेदक संदीप का भाई), अशोक कुमार मिश्रा के कथन की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश नहीं हैं और न ही उन्हें प्रमाणित कराया गया है। परंतु उससे यह आभास मिलता है कि आवेदक संदीप के संबंध मंजरी मिश्रा नाम की लड़की से रहे थे और दोनों साथ में बंगलोर चले गए थे।

14. संदीप सिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रकरण प्रस्तुत किया था तथा अनावेदिका पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती थी और उसने भरण पोषण की राशि प्राप्त कर ली थी, लेकिन न्यायालय में उपस्थित नहीं होती थी, दिनांक 28.10.12 को उससे संपर्क करने पर उसने पत्नी के रूप में रहने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। परंतु उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा ही भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई है तथा आवेदक के द्वारा ही उक्त धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के आवेदन को समाप्त करा लिया गया था।

15. इस प्रकार आवेदक सही तथ्यों को भी न्यायालय के समक्ष नहीं रख रहा है। ऐसी स्थिति में जहां कि भरण पोषण की राशि अदा नहीं की गई और धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रकरण समाप्त करा लिया गया, तब ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक स्वयं ही अनावेदिका को रखना नहीं चाहता है। उभयपक्ष की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक, अनावेदिका के पत्नी होते हुए भी उसके साथ नहीं रहता था अर्थात् लंबे समय बाद वापस घर आता था और अपनी नौकरी के स्थान पर कभी नहीं ले गया। इन परिस्थितियों में अनावेदिका की ओर से क्रूरता किए जाना प्रकट नहीं होता है।

16. आवेदक की ओर से यह भी आधार लिया गया है कि धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्य प्रकरण में पेशी दिनांक 12.10.12 के पश्चात जब दिनांक 28.10.12 को अनावेदिका से संपर्क किया तो उसने आवेदक के साथ रहने से स्पष्ट मना कर दिया। संदीप सिंह आ0सा0-01 ने ऐसा कही भी नहीं बताया है कि यह बात किसके सामने हुई थी और उस समय कौन कौन मौजूद था।

17. अनावेदिका प्रभा उर्फ कीर्ति अना0सा0-01, राघवेन्द्र सिंह अना0सा0-02 एवं

सुलोचन अना0सा0-03 ने यह बताया है कि दिनांक 19.07.09 को उसके पति संदीप एवं ससुराल के लोग उसके गांव सिरसा आए थे और वह अकेली थी और संदीप ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया था और अनावेदिका ने मना कर दिया तो उसकी सभी ने लात घूसों से मारपीट की, चिल्लाने पर उसके ताऊ जितेन्द्रसिंह व चाचा राघवेंद्र सिंह ने उसे बचाया। इस साक्ष्य को भी आवेदक की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

18. प्रभा उर्फ कीर्ति अना0सा0-01 के पैरा-12 में इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने पति के साथ रहने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। अपितु यह बताया है कि अपने पति के साथ रहना चाहती है। जहां कि धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रकरण आवेदक की ओर से वापस ले लिया गया था तथा भरण पोषण की राशि भी उसके द्वारा अदा नहीं की गई है, तब ऐसी स्थिति में जहां कि आवेदक व अनावेदिका अलग अलग रह रहे हैं, तब यह प्रकट नहीं होता है कि आवेदक का अनावेदिका से अलग अलग रहने का कोई युक्तियुक्त आधार है। अपितु अनावेदिका का आवेदक से अलग रहने का युक्तियुक्त आधार होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ पत्नी के धर्म का पालन न करते हुए तथा दाम्पत्य सुख से वंचित करते हुए क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया।

वादप्रश्न क्रमांक 02:-

19. उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए जहां कि अनावेदिका के द्वारा क्रूरता किया जाना और पत्नी धर्म का पालन न किया जाना प्रमाणित नहीं है तथा आवेदक के द्वारा ही दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का आवेदन समाप्त कराया गया है तब उनके मध्य दाम्पत्य संबंधों की स्थापना के समस्त विकल्प समाप्त हो चुकना मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य दाम्पत्य संबंधों की स्थापना के समस्त विकल्प समाप्त हो चुके हैं।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03 अनुतोष एवं वाद व्यय:-

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक यह प्रमाणित करने में असफल रहा

है कि अनावेदिका बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदक को दाम्पत्य सुख से वंचित किए हुए है तथा पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है और आवेदक के प्रति क्रूरता कर रही है। ऐसी दशा में आवेदक अपने आवेदन में लिए गए आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

21. आवेदक अपना आवेदन प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः उसका आवेदन निरस्त किया जाता है। आवेदक अपने वादव्यय के साथ अनावेदिका का भी वाद व्यय वहन करेगा। अधिवक्ता शुल्क 2,000/-रुपए लगाया जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड